पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र





भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ24005

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Ajmer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165 Email-ro.ajmer@ibm.gov.in

दिनांक: 10.11.2020

संख्या : RAJ/SRH-26/LST-5

प्रेषित : खान एजेंट, ठण्डीबेरी चूना पत्थर खान,

मेंसर्स अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में बिनानी सीमेंट लिमिटेड),

पोस्ट- आदित्य नगर,जिला-सिरोही (राजस्थान) 307031

Email- gajendra.s@adityabirla.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your

Thandiberi Limestone Mine (Lease area 256.0Hect.) situated in Sirohi District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 02.11.2020 by the undersigned in presence of Shri Gajendra Singh Shakbawat Mines Agent:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
26 (2)	A yearly PMCP report for the year 2019-20 submitted vide your letted 29.06.2020 which was received in this office on 09.07.2020. The proposals shown in the PMCP report are not matching with approved modified mining plan with PMCP (Approved on 06.05.2016).

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(डी.<del>च्यार.</del> गुर्जर )

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार,सिरोही (राजस्थान)।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो